राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.3(62)खान/ग्रुप-2/83 जयपुर, दिनांक:- 10 जून, 1994

अधिसूचना

राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 65क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, खनिज विकास के हित में, ईंट-भट्टों द्वारा ईंटें बनाने के लिए उपयोग में लायी गयी ईंट-मिट्टी को खनिज रियायत देने की प्रक्रिया को, इसके द्वारा, निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात :-

1. परिभाषाएं :

(i) "नियम" से राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 अभिप्रेत है ;

(ii) "अनुज्ञापत्र" से विनिर्दिष्ट कालावधि और क्षेत्र के भीतर ईंट-मिट्टी की विनिर्दिष्ट मात्रा के उत्खनन और हटाए जाने के लिए मंजूर किया गया अनुज्ञापत्र अभिप्रेत है ;

(iii) "अनुज्ञा-पत्र की कालावधि" से ऐसी कालावधि अभिप्रेत है जिसके लिए अनुज्ञापत्र मंजूर किया जा सकेगा, जो 5 वर्ष से अधिक की नहीं होगी किन्तु अनुज्ञापत्र की न्यूनतम कालावधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी ;

(iv) "ईंट-मिट्टी की मात्रा" से ईंट-मिट्टी की वार्षिक मात्रा जिसके लिए कोई अनुज्ञापत्र दिया जा सकेगा, अभिप्रेत है और जिसकी संगणना निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर की जायेगी :-

ईंट-मिट्टी की वार्षिक मात्रा (टनों में) = 150 x डब्ल्यू x एन

(क) "डब्ल्यू" से मानक माप की एक हजार ईंटों का टनों में वजन अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण : मानक माप ($9'' \times 4\frac{1}{2}'' \times 3''$) की एक हजार ईंटों के वजन को 3.5 टन माना जायेगा ।

(ख) "एन" से ईंट-भट्टे की चौड़ाई के साथ-साथ इसकी बाह्य और आन्तरिक दीवारों के बीच ईंटों के ऊर्ध्व स्तम्भों (घोड़ी) की संख्या अभिप्रेत है ।

2. अनुज्ञापत्र की मंजूरी के लिए आवेदन :

(1) अनुज्ञा-पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन, इस अधिसूचना के साथ संलग्न प्ररूप सं. 1-क में, खनन इंजीनियर / सहायक खनन इंजीनियर को किया जायेगा ।

(2) ऊपर उप-खण्ड (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित होगा -

(क) 500/- रुपये फीस, जिसका प्रतिदाय नहीं किया जायेगा.

(ख) आवेदन किये गये क्षेत्र को दर्शित करते हुए, खसरा नक्शे की एक प्रति और संबंधित पटवारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित, खसरा जमाबंदी की एक प्रति;

(ग) यदि आवेदक, राज्य में, किसी भी खनिज रियायत को धारण करता है या धारण कर चुका है तो संबंधित खनन इंजीनियर / सहायक खनन इंजीनियर से अदेयता प्रमाणपत्र की एक प्रमाणित प्रति;

परन्तु अदेयता प्रमाणपत्र की वहां अपेक्षा नहीं की जायेगी जहां आवेदक, कोई शपथपत्र यह कथन करते हुए देता है कि वह, राज्य में, कोई खनन पट्टा या अन्य कोई खनन रियायत धारण नहीं करता है या उसने धारण नहीं की है;

परन्तु यह और कि जहां आवेदक कोई प्राइवेट फर्म या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो फर्म के सभी भागीदारों से या यथास्थिति, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सभी निदेशकों से अदेयता प्रमाणपत्र देने की अपेक्षा नहीं की जायेगी,

(घ) आवेदक की ओर से उस भूमि, जहां से ईंट-मिट्टी का उत्खनन किया जायेगा, के ब्यौरे, जैसे-अवस्थिति और खसरा संख्या, का कथन करते हुए शपथपत्र;

(ङ) आवेदक का शपथपत्र कि उसके परिवार के किसी सदस्य के विरुद्ध विभाग का और किसी फर्म का भी जिसका वह भागीदार है या था के विरुद्ध कोई बकाया देय नहीं है।

3. प्रत्येक ईंट-भट्टे के लिए पृथक अनुज्ञापत्र : अनुज्ञापत्र धारक, प्रत्येक ईंट-भट्टे के लिए पृथक अनुज्ञापत्र अभिप्राप्त करेगा और यदि यह पाया जाता है कि एक ईंट-भट्टे के लिए जारी किये गये अनुज्ञापत्र के अधीन उत्खनित ईंट-मिट्टी किसी अन्य ईंट-भट्टे के लिए उपयोग में लायी गयी है तो अनुज्ञापत्र, प्रतिभूति के समपहरण सहित रद्दकरणीय होगा।

4. अनुज्ञापत्र मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी : आवेदन किये गये क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाला खनन इंजीनियर या सहायक खनन इंजीनियर, इस अधिसूचना से संलग्न प्ररूप सं. 16 में, उसमें उत्खनन की जाने वाली या हटायी जाने वाली ईंट-मिट्टी की विनिर्दिष्ट मात्रा और अनुज्ञापत्र की कालावधि उल्लिखित करते हुए अनुज्ञापत्र मंजूर कर सकेगा।

5. रायल्टी और अन्य संदाय :

(1) अनुज्ञापत्र धारक, समय-समय पर संशोधित नियमों की अनुसूची-I में तत्समय विनिर्दिष्ट दर से ईंट-मिट्टी पर रायल्टी का संदाय करेगा;

.. 3 ...

परन्तु जब कभी रायल्टी की दर पुनरीक्षित की जाती है तो ईंट-भट्टे को पूर्व में प्रेषित ईंटों को मात्रा पर पूर्व दर लागू होगी ।

6. संदाय का ढंग :

अनुज्ञापत्र धारक द्वारा अनुज्ञापत्र की वार्षिक मात्रा की रायल्टी अग्रिम रूप में त्रैमासिक किस्तों में संदत्त की जायेगी ।

7. ब्याज :

नियमों के नियम 61 के अनुसरण में ही रायल्टी की समस्त बकाया राशि पर ब्याज लिया जावेगा ।

8. अनुज्ञापत्र की शर्तें :

शर्तें, जिन पर अनुज्ञापत्र मंजूर किया जा सकेगा, को अनुज्ञापत्र में उल्लिखित किया जायेगा ।

9. प्रतिभूति निक्षेप :

§1§ किसी आवेदक से, इस अधिसूचना के खण्ड §1§ के अनुसार ईंट-मिट्टी की वार्षिक मात्रा के आधार पर संगणित वार्षिक रायल्टी को 50 प्रतिशत दर पर, अनुज्ञापत्र के निबंधनों के सम्यक्‌पालन के लिए अनुज्ञापत्र मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति की प्राप्ति के सात दिन की कालावधि के भीतर, किसी अनुज्ञापत्र के लिए, प्रतिभूति निक्षेप करने की अपेक्षा की जायेगी ।

§2§ अनुज्ञापत्र का सन्तोषप्रद पालन होने पर प्रतिभूति निक्षेप, अनुज्ञापत्र के अवसान के पश्चात् लौटा दिया जायेगा या रायल्टी के अन्तिम त्रैमासिक किस्त के विरुद्ध या अन्य अनुज्ञापत्र के संबंध में निक्षेप की जाने वाली प्रतिभूति के विरुद्ध समायोजित कर दिया जायेगा ।

§3§ जब कभी भी ईंट-मिट्टी पर रायल्टी की वृद्धि की जाती है तो अनुज्ञापत्र धारक और राशि जमा करायेगा ताकि ऐसी वृद्धि करने के 15 दिन के भीतर, कुल प्रतिभूति निक्षेप, वृद्धि की गयी वार्षिक रायल्टी के 50 प्रतिशत के बराबर हो सके ।

10. अनुज्ञापत्र का रद्दकरण :

अनुज्ञापत्र की किसी भी शर्त या नियमों के किसी भी उपबंध का भंग होने पर संबंधित खनन इंजीनियर या सहायक खनन इंजिनियर अनुज्ञापत्र को रद्द कर सकेगा और/या संपूर्ण प्रतिभूति रकम या उसके किसी भाग को समपहृत कर सकेगा । ऐसी कार्यवाई तब तक नहीं की जायेगा जब तक कि अनुज्ञापत्र का धारक, 15 दिन की सूचना के तामील होने के पश्चात् भंग का निराकरण करने में असफल न हो गया हो ।

आदेश से,

§ एस०पी०गुप्ता §
शासन सचिव